राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2386/2024

हितेश श्रीमल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) राजय बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.07.2024
आदेश की दिनांक : 25.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रोहित सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार आदेश दिनांक 03.04.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पद की अंतिम वरिष्ठता सूची को प्रकाशित किया गया, जिससे अपीलार्थी को दिनांक 29.11.1991 के बजाय दिनांक 05.04.1994 से प्रभावी सेवा अवधि की गणना करते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद की वर्ष 2022–2023 की वरिष्ठता निर्धारित की गई। अपीलार्थी की नियुक्ति की तिथी 29.11.1991 मानते हुए वरिष्ठता में सुधार करने के अपीलार्थी के अभ्यावेदन को दिनांक 16.09.2020 (अनुलग्नक–2) के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और अपीलार्थी की वरिष्ठता उसकी सेवा अवधि की गणना दिनांक 08.03.1994 से करते हुए निर्धारित की गई। अपीलार्थी को माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा के तहत आदेश दिनांक 26.11.1991 के तहत अनुकंपा आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रारंभ में नियुक्त किया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 29.11.1991 को कार्यभार ग्रहण किया। आदेश दिनांक 02.03.1994 के तहत अपीलार्थी को माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा पर अधिशेष घोषित किया और उसे जिला

कलेक्टर बांसवाड़ा के नियंत्रण में भेज दिया गया। अपीलार्थी के उक्त आदेश के अनुपालन में 07.03.1994 को जिला कलेक्टर के कार्यालय में अपनी ज्वाइनिंग प्रस्तुत की। उसके बाद अपीलार्थी को राज्य बीमा और प्रावधायी विभाग बांसवाड़ा के तहत समाहित कर लिया गया और उसके अनुसरण में अपीलकर्ता ने दिनांक 08.03.1994 को अपनी नियुक्ति प्रस्तुत की। (अनुलग्नक–3,5) आदेश दिनांक 05.04.1994 द्वारा अपीलार्थी का आमेलन उसके सहायक निदेशक राज्य बीमा भविष्य निधि विभाग, जयपुर के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्वीकार कर लिया गया है। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी की वरिष्ठता राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कर्मचारी का आमेलन) अधिनियम, 1969 के नियम–15 के तहत निर्धारित की गई थी और उक्त नियम के अनुसार अपीलार्थी को स्थायी कर्मचारियों से नीचे रखने की जांच की गई थी लेकिन अपीलार्थी की वरिष्ठता आमेलन दिनांक 08.03.1994 से गणना की गई है, जो नियमानुसार नहीं है, जबकि नियमानुसार अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 29.11.1991 से गणना की जानी चाहिए, जिसका परिणाम यह है कि 29.11.1991 की अवधि के दौरान दिनांक 08.03.1994 तक एक भी कर्मचारी अधिशेष घोषित नहीं किया गया, उसे वरिष्ठता सूची में समाहित कर्मचारी के बराबर रखा गया। (अनुलग्नक–7) आदेश दिनांक 30.06.2003 द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत 300 से अधिक कर्मचारियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के मद्देनजर स्थायी घोषित किया गया है। (अनुलग्नक–8) आदेश दिनांक 27.04.2020 (अनुलग्नक–9) के तहत सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक की अनंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2020 को कर्मचारियों की स्थिति के अनुसार प्रकाशित की गई। उक्त सूची में वरिष्ठ सहायक के पद पर अपीलार्थी का चयन वर्ष 2016–2017 बताया गया है। अपीलकर्ता ने दिनांक 02.06.2020 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि उसकी वरिष्ठता स्थिति को नियम–1969 के मद्देनजर सही किया जाना चाहिए और कनिष्ठ व्यक्तियों अर्थात् श्री परेश दवे और शैलेन्द्र कुमार जैन को मूल वेतन रु. 46,700/– मिल रहा है जबकि अपीलकर्ता का मूल वेतन रु.48,100/– है, इसके बावजूद उन्हें अपीलकर्ता की तुलना में उन्हें वरिष्ठ माना गया। अपीलकर्ता की वरिष्ठता की गणना दिनांक 29.11.1991 से करने के बजाय दिनांक 08.03.1994 से की गई है। अपीलकर्ता को अधिशेष घोषित कर दिया गया है और राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग में समाहित कर लिया गया। अपीलार्थी को उसके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित भी नहीं किया गया। ऐसे में उनकी वरिष्ठता दिनांक 29.11.1991 गिनी जानी चाहिए। (अनुलग्नक–10)

आदेश दिनांक 08.06.2020 द्वारा वरिष्ठ सहायक सहित विभिन्न पदों के लिए अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसके तहत उन्हें वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2016–2017 की वरिष्ठता निर्धारित की गई। (अनुलग्नक–11) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 16.09.2020 के आदेश के तहत तय किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता को दिनांक 02.03.1994 के आदेश के तहत अधिशेष घोषित किया गया और उसे दिनांक 07.03.1994 को अवशोषित कर लिया गया। श्री परेश दवे एवं शैलेन्द्र कुमार जैन की नियुक्ति वर्ष 1999 में की गई थी और विभागीय दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें 30. 03.1993 को स्थायी घोषित किया गया था। आदेश दिनांक 03.04.2024 द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में अनंतिम वरिष्ठता प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2022–23 में वरिष्ठता प्रदान की गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आदेश दिनांक 16.09.2020 को निरस्त किया जावे जिसके द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज किया गया था एवं वरिष्ठता सूची दिनांक 03. 04.2024 में अपीलार्थी की वरिष्ठता को संशोधित किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की वरिष्ठता की गणना दिनांक 08.04.1994 के बजाय दिनांक 29.11.1991 से की जाए और तदनुसार सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जावे एवं सहायक निदेशक पर्यवेक्षक पर पदोन्नति दी जाए।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह

पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)